संख्या- 99 /2017/1218/69-1-17-14(38)/2017टी.सी.

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊः दिनांकः 21 अगस्त, 2017

विषय- प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत कुल 01 लाख आवासों के निर्माण हेतु राज्यांश के सापेक्ष रू0 1000.00 करोड़ का ऋण आवास एवं शहरी विकास कारपोरेशन (हडको) द्वारा राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को उपलब्ध कराया जाना एवं उक्त धनराशि का प्राविधान बजट में कराया जाना।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को किया गया है। मिशन के अन्तर्गत रू0 3.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) वर्ग के परिवारों तथा रू0 3.00 लाख से रू0 6.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले निम्न आय वर्ग (एल0 आई0 जी0) परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। मिशन के निम्न 04 घटक हैं:-

(क) ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना।
(ख) भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करके "स्वस्थाने" स्लम पुनर्विकास।
(ग) भागीदारी में किफायती आवास (अफोर्डेबुल हाउसिंग इन पार्टनरशिप)।
(घ) लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण व विस्तार।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण व विस्तार" घटक के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। लाभार्थियों का चयन मांग सर्वेक्षण के आधार पर राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जायेगा। नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के शासनादेश संख्या-162/2016/623/69-1-2016-14(139)/2015 टीसी, दिनांक 21 मार्च, 2016 द्वारा रू0 1.50 लाख केन्द्रांश के सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश अर्थात् रू0 1.00 लाख प्रति आवास निर्धारित किया गया है। इस प्रकार प्रति लाभार्थी रू0 2.50 लाख आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-बी-4-288/दस-2017-1(बी)-4/2017, दिनांक 07.06.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन योजना के घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण व विस्तार" के अन्तर्गत राज्यांश के सापेक्ष कुल 01 लाख आवासों के निर्माण हेतु निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

क्रमशः.....2 /-

(1) राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा योजना के अन्तर्गत राज्यांश की निर्धारित धनराशि रू0 1.00 लाख प्रति आवास की दर से 01 लाख आवासों के निर्माण/विस्तार हेतु रू0 1000.00 करोड़ का ऋण आवास एवं शहरी विकास कारपोरेशन (हडको) से लिया जायेगा। उक्त धनराशि का बजट प्राविधान नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के वर्ष 2017-18 के बजट में किया जायेगा।

(2) राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा हडको से लिये जा रहे ऋण की गारन्टी राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली गारण्टी, गारण्टी शुल्क से मुक्त रहेगी।

(3) ऋण की ब्याज सहित अदायगी के लिये राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) ऋण की अवधि एवं ब्याज की दरों का अंतिम रूप से निर्धारण वित्त विभाग के स्तर पर वित्तीय संस्थाओं के साथ निगोशिएशन कर किया जायेगा।

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्णय के अनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 99 /2017/1218(1)/14(38)/2017टी.सी., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. बजट समन्वयक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)
संयुक्त सचिव।